न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2021/77
मिसल नम्बर–84/2021

गोबरीलाल आयु 62 वर्ष आत्मज श्री चन्दा जी जाति बैरवा निवासी ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा कोटा प्रार्थी।

बनाम

1.लाजपतराय पुत्र स्व0 श्री धनराज जाति खत्री मृतक जरिये कायम मुकामान–
1/1.ललित पुत्र लाजपतराय
1/2.सुनील पुत्र लाजपतराय
1/3.ममता पत्नी लाजपतराया
2.किशन कुमार पुत्र स्व0 श्री धनराज जाति खत्री
3.शीलवन्ती पत्नी स्व0 श्री धनराज जाति खत्री निवासीगण श्रीनाथ बिल्डिंग के सामने कोटा जंक्शन कोटा
4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
5.कोटा विकास प्राधिकरण (नगर विकास न्यास) कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 9/5/25

उपस्थिति:–
1.श्री रघुवीर सिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी ।
2.श्री लोकेश गौतम अप्रार्थी नं0 1, 2, 3 अधिवक्ता।
3.श्री शम्भूदयाल विजय अप्रार्थी नं0 5 अधिवक्ता

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 254 रकबा 0.44 है0 अन्य खसरा नम्बरान की आराजी के साथ वाके ग्राम नोटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार मालिक व काबिज चला आ रहा है। आराजी ख०नं0 254 रकबा 0.44 है० पर कृषि कार्यो हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य उपकरण एवं कृषि उपज लाने व ले जाने के लिये सदैव से ग्राम चन्द्रेसल से ग्राम मानसगांव जाने वाले रास्ते पर से होकर प्रार्थी की आराजी का रास्ता नोटाना नहर के सहारे बने डामर सड़क के सहारे सहारे खसरा नम्बर 251 व 252 की पूर्वी दिशा की मेड पर धौरे के सहारे होकर है। खसरा नम्बर 252 की आराजी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है तथा खसरा नम्बर 251 की आराजी राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरा

उपखण्ड अधिकारी

नम्बर की आराजी में से रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ख०नं० 264 पर आने जाने के लिये सदैव से करता चला आ रहा हैं। प्रार्थी के खाते की उक्त भूमि पर आने जाने एवं कृषि कार्य करने हेतु यही एकमात्र रास्ता है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। आराजी ख0नं0 251 के खातेदार प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी को उक्त आराजी में स्थित पूर्वी दिशा की मेड़ पर धोरे के सहारे उक्त रास्ते से नहीं निकलने दे रहे हैं। साथ ही आराजी ख०नं0 252 जो गैर मुमकिन रास्ता है पर भी जबरन कब्जा कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है तथा उस पर से भी नहीं निकलने दे रहे हैं जिससे प्रार्थी को वर्तमान में हंकाई जुताई करने व कृषि कार्य करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते को खुलासा करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 4 के यहां आवेदन किया साथ ही संपर्क पोर्टल पर जिला कलेक्टर कोटा के यहां भी शिकायत की तो वहां पर प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में प्रक्रिया अपनाकर राहत लेने हेतु कहा गया इसलिये प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत स्थायी रूप से रास्ते को कायम कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु अविलम्ब यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी के खाते की आराजी खं0 254 रकबा 0.44 है० पर कृषि कार्य के लिये आवागमन करने का रास्ता संलग्न नजरी नक्शा मुताबिक ख०नं० 251 व ख०नं0 252 की पूर्वी मेड़ पर धोरे के सहारे सहारे 15–20 फीट चौड़ाई में सदैव से कायम चला आ रहा है जिससे प्रार्थी अपने खाते की उपरोक्त आराजी पर आता जाता है। प्रतिपक्षीगण की जितनी भी भूमि रास्ते हेतु उपयोग की जानी है उसकी मुआवजा राशि प्रार्थी, प्रतिपक्षीगण को माननीय न्यायालय के आदेश से नियमानुसार देने को तैयार व तत्पर है क्योंकि प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि पर आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिये रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि में ख०नं० 252 गैर मुमकिन रास्ता सरकारी भूमि है उसका भी कुछ भाग रास्ते के उपयोग में आना है जिस पर प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। समस्त कृषि भूमि के लिये राज्य सरकार लेण्ड़ होल्डर है। प्रार्थी की स्थिति खातेदार की होने से प्रार्थी को केवल टीनेन्सी राईटस प्राप्त है और टीनेन्ट को अपनी कृषि आराजी पर पहुंचने के लिये यदि किसी गैर मुमकिन रास्ते की भूमि के लिये उपयोग करना आवश्यक है तो वह परम्परा अनुसार उपयोग उपभोग करने के लिये अधिकृत है जिस पर से प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 को हटाया जाना व यथावत रास्ता बहाल रखा जाना आवश्यक है विकल्प में यह भी निवेदन है कि प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिये रास्ते के उपयोग में आने वाली गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का मुआवजा लिया जाना आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी गैर मुमकिन रास्ते के उपयोग की ऐसी भूमि की मुआवजा राशि देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ख०नं० 254 रकबा 0.44 है० वाके ग्राम नोटाना तह0 लाडपुरा जिला कोटा की कृषि भूमि पर काश्तकारी प्रयोजन हेतु ख०नं० 251 एवं ख०नं0 252 की पूर्वी मेड पर धोरे के सहारे सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने तथा उक्त रास्ते का राजस्व रेकार्ड में स्थायी रूप से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम कर जमाबन्दी में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने आदेश प्रदान करें साथ ही यह भी निवेदन है कि ख०नं0 252 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि को यथावत रखा जाकर प्रार्थी के खाते तक जाने के लिये रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करें। अन्य सहायता जो भी न्यायोचित हो वह भी प्रदान फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 01 लगायत 03 ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की आराजी ख०नं0 252 रकबा 0.23 है० एवं ख०नं० 251 रकबा 0.23 है० वाके ग्राम नोटाना पटवार हल्का किशनपुरा तकिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाडपूरा जिला कोटा-राज० में से प्रार्थी की आराजी ख०नं0 254 पर आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने का माननीय न्यायालय में पेश किया है लेकिन उक्त आराजी में से ख०नं० 252 रकबा 0.23 है0 वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज चली आ रही है उक्त प्रार्थना पत्र में ख०नं0 251 रकबा 0.23 हे0 में से भी रास्ता चाहा गया है लेकिन जिस धोरे की तरफ रास्ता चाहा गया है वहां पर प्रार्थीगण का अपनी आराजी में बोरिंग लगा हुआ है तथा बिजली का कनेक्शन लगा है लाईट के खम्भे में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो जयपुर विद्युत वितरण निगम जयपुर शाखा कोटा को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि जयपुर विद्युत वितरण निगम जयपुर शाखा कोटा एक आवश्यक पक्षकार है, इस प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रावधान है कि कोई भी खातेदार अपने आराजी पर आने जाने हेतु अपने आगे वाले खातेदार से आराजी का मुआवजा जमा करके माननीय न्यायालय की सहायता से रास्ता प्राप्त कर सकता है चूंकि प्रार्थी की आराजी ख०नं0 254 के आगे का खेत ख०नं० 253 रकबा 1.7900 है०, है जो वर्तमान में दुर्गाशंकर पुत्र औंकार जाति धाकड़ निवासी नोटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा के नाम दर्ज है प्रार्थी अपने खेत पर जाने का रास्ता ख०नं० 253 में से सुगमता से प्राप्त कर सकता है लेकिन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ख०नं० 253 के खातेदार दुर्गाशंकर को पार्टी नहीं बनाया है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी की आराजी ख०नं0 254 प्रार्थीगण की आराजी 251 से करीब 4 फीट उपर है जबकि ख०नं0 253 की आराजी प्रार्थी की आराजी के समान्तर एवं रोड से लगी हुई है, जिसके कारण प्रार्थी यदि रास्ता भी प्राप्त करना चाहता है तो ख०नं0 253 की आराजी से प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत गलत रूप से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है क्योंकि स्वयं प्रार्थी ने रास्ता सदैव से कायम होने की बात अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की है। जिसके लिये 45 दिन का समय ग्राम पंचायत को रास्ता खुलासा करने का है और उसके बाद भी रास्ता खुलासा न हो तो 45 दिन बाद तहसीलदार लाडपुरा कोटा को अधिकार है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिपक्षी 1/1 लगायत 1/3, 2, एवं 3 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाकर उन्हें परेशान करने एवं खर्चे से जैरबार करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी क्रम 05 ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए यह जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना-पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत गलत रूप से माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि स्वयं प्रार्थी ने रास्ता सदैव से कायम होने की बात अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित की है, जिसके लिये 45 दिन का समय ग्राम पंचायत को रास्ता खुलासा करने का है। और उसके बाद भी रास्ता खुलासा न हो, तो 45 दिन बाद तहसीलदार लाडपुरा कोटा को अधिकार है । इसलिये उक्त प्रार्थना-पत्र प्रथम

उपखण्ड अधिकारी

दृष्टया ही माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त
भूमि गैरमुमकिन रास्ता कोटा विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज है, और रास्ते की भूमि न तो
विक्रय की जा सकती है, और न ही किसी के खाते दर्ज की जा सकती है, क्योंकि उक्त
प्रकार की भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 मे प्रतिबन्धित है, इसलिये भी प्रार्थी का
प्रार्थना–पत्र कानून के प्रावधानो के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः जवाब प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 08.05.2024
को प्रस्तुत हुई, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया है कि भूमि
ख0नं0 251 रकबा 0.23 है0 जो ग्राम नोटाना जिसका खातेदार किशनलाल कुम्हार गै.
खातेदार जहा मुताबिक चिन्हित नजरी नक्शे के ख0नं0 251 में 4 मीटर चौडाई एवं 22 मीटर
लम्बाई है। भूमि रास्ते हेतु काम में आयेगी। प्रार्थी रिकॉर्डेड रास्ता चाहता है जिसके लिए
खातेदार सहमत नही है। इस चिन्हित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के
नही है। ख0नं0 252 रकबा 0.23 किस्म गै0मु0 रास्ता नगर विकास न्यास कोटा दर्ज रिकॉर्ड
है। प्रार्थी गोबरीलाल ख0नं0 254 में जाने हेतु गैरखातदारी भूमि ख0नं0 251 मे से रास्ता
चाहता है। ख0नं0 252 में धोरा बना हुआ है। अप्रार्थी किशन कुमार वगै0 द्वारा बताया गया
कि हमारे द्वारा खातेदार गोबरीलाल को कभी निकलने के लिए मना नही किया गया है इस
बाबत अन्य आस पास के खातेदारान से भी पूछताछ की गई। सभी के द्वारा बताया गया कि
आपसी सहमति से निकलते है व फसल की बुवाई व कटाई करते है। किन्तु गोबरीलाल
स्थाई रिकॉर्डेड रास्ता चाहता है जिसका किशनलाल वगै0 विरोध कर रहे है। ख0नं0 254 में
जाने के लिए नक्शा लट्ठा में कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज नही है।
प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत
की गई। हमने उभय पक्षकारों के अभिभाषक की बहस सुनी।
प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बहस की गई कि तहसीलदार लाडपुरा
से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 27.06.2024 के आधार पर निर्णय किया जावे।
अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 01 लगायत 03 की ओर से बहस कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र
को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।
हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के
प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा उभय पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार
रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि ख0नं0 254 में जाने के लिए नक्शा लट्ठा में कोई रिकॉर्डेड
रास्ता दर्ज नही है। तहसील रिपोर्ट में चिन्हित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता
प्रार्थी के पास नही है। बाद अवलोकन प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान
में रास्ता नहीं है, किन्तु प्रार्थी को कृषि कार्य के लिए रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक है
ऐसी स्थिति में प्रार्थी को नया रास्ता प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।
हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त
किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा
251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव
हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में रास्ते का आत्यान्तिक अभाव
है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना
उचित पाते है।

उपखण्ड अधिकारी
को...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 254 तक कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु तहसील द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 251 में से 4 मीटर चौडाई में मार्ग उपलब्ध कराया जावें।

तहसील द्वारा प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम रास्ते के क्षेत्र की गणना कर डीएलसी दर से दोगुनी राशि अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 3 को उपलब्ध करावें व तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते की तरमीम की जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9/5/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.